भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 99

उत्तर देने की तारीख 20 जुलाई, 2026

सोमवार, 29 आषाढ़, 1948 (शक)

तमिलनाडु में कौशल विकास केंद्र की स्थापना

†99. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु के अरानी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर में पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्थापित, संचालित और उन्नत किए गए कौशल विकास केंद्रों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे केंद्रों की स्थापना और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इनमें प्रशिक्षित, प्रमाणित और नियोजित किए गए उम्मीदवारों की संख्या वर्ष-वार कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने रोजगार क्षमता में सुधार करने, उद्योग जगत की कौशल संबंधी कमियों को दूर करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में उक्त केंद्रों की प्रभावशीलता का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) क्या उक्त केंद्रों में प्रशिक्षकों के पदों के रिक्त होने, बुनियादी ढांचे की कमियों या कार्यान्वयन में देरी की कोई सूचना मिली है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) देशभर में, विशेषकर तमिलनाडु और अन्य अल्पसेवित क्षेत्रों में उद्योग जगत के साथ साझेदारी बढ़ाने, प्रशिक्षण अवसंरचना का आधुनिकीकरण करने, डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने तथा गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): स्किल इंडिया मिशन (सिम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) जैसी प्रमुख योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के जरिए देश भर के समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशलों से सुसज्जित करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

एमएसडीई की योजनाएं मांग आधारित हैं और इन योजनाओं के तहत प्रशिक्षण केंद्र आवश्यकतानुसार स्थापित या संचालित किए जाते हैं। एमएसडीई की योजनाओं के अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण केंद्रों की राज्यवार जानकारी, जिनमें तमिलनाडु के अरानी लोक सभा क्षेत्र (तिरुवन्नमलई और विलुप्पुरम जिले) के केंद्र भी शामिल हैं, जो **अनुबंध-I** में दी गई है। एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित/प्रमाणित उम्मीदवारों का वर्षवार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

एमएसडीई की योजनाओं में से, पीएमकेवीवाई के अल्पकालिक प्रशिक्षण घटक के तहत 2015-16 से 2021-22 तक लागू किए गए पहले तीन चरणों (पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0) नियोजन पर नजर रखी गई थी। पीएमकेवीवाई (1.0 से 3.0) योजना के तहत तमिलनाडु में 1.72 लाख उम्मीदवारों को नियोजित किया गया है। योजना के वर्तमान चरण यानी पीएमकेवीवाई 4.0 में, ध्यान प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उनके विविध करियर अवसर चुनने के लिए सशक्त बनाने पर है और उन्हें उद्योग से संबंधित कौशल पाठ्यक्रमों के माध्यम से इसके लिए उपयुक्त रूप से तैयार किया जाता है, जिसमें ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) शामिल है।

(ग): सरकार स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत कौशल विकास पहलों की समय-समय पर समीक्षा करती है, जिसमें नामांकन, प्रमाणन, नियोजन, स्वरोजगार के परिणाम और नियोक्ताओं की प्रतिक्रिया का आकलन करके रोजगार क्षमता और भविष्य के कौशल को सुदृढ़ करने में उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है। ये समीक्षाएँ पाठ्यक्रम के निरंतर अद्यतन, उद्योग सहयोग और कार्यान्वयन पद्धतियों में सुधार का समर्थन करती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कौशलीकरण कार्यक्रम विकसित हो रही प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों और श्रम बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप बने रहें। व्यापक कौशल विकास योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन एमआईएस-आधारित निगरानी, तृतीय-पक्ष आकलन और लाभार्थियों की प्रतिक्रिया के माध्यम से भी किया जाता है।

पीएमकेवीवाई 4.0: वर्ष 2025 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के एक स्वायत्त संस्थान, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफ़एम) द्वारा पीएमकेवीवाई 4.0 का एक स्वतंत्र तृतीय-पक्षीय प्रभाव मूल्यांकन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण ने अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) उम्मीदवारों के रोजगार परिणामों में उल्लेखनीय सुधार लाने में योगदान दिया है। प्रशिक्षण से पहले कार्यरत और स्व-रोजगार प्राप्त एसटीटी प्रतिभागियों का संयुक्त हिस्सा 26.6% था, जो पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण के बाद बढ़कर 45.4% हो गया, जो 18.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्शाता है। जिसमें 41.4% एसटीटी उम्मीदवारों और 48.9% पूर्व अधिगम मान्यता (आरपीएल) उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण और प्रमाणन के बाद आय में वृद्धि दर्ज की है। कुल मिलाकर, पीएमकेवीवाई 4.0 ने औपचारिक कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन तक पहुंच को काफी हद तक बढ़ाया है और लाभार्थियों के एक बड़े हिस्से के लिए कौशल आत्मविश्वास, रोजगार भागीदारी और आय परिणामों में उल्लेखनीय सुधार किया है।

जेएसएस: भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के एक स्वायत्त संस्थान, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान द्वारा 2025 में जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन किया गया, ताकि योजना की पहुंच, प्रभावशीलता और आजीविका परिणामों का आकलन किया जा सके। मूल्यांकन में योजना की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को उजागर किया गया, जिसमें 33.94 लाख व्यक्ति नामांकित हुए, जिनमें से 32 लाख को प्रशिक्षित किया गया और 31.52 लाख को प्रमाणित किया गया, जो 99 प्रतिशत की समग्र सफलता दर को दर्शाता है। कुल प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 82 प्रतिशत थी, जबकि 73 प्रतिशत लाभार्थी हाशिए पर स्थित वर्गों से थे, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (36 प्रतिशत) और अन्य पिछड़ा वर्ग (37 प्रतिशत) शामिल हैं। आजीविका पर प्रभाव उल्लेखनीय रहा है, जिसमें 90 प्रतिशत पूर्व छात्र अर्जित कौशल का उपयोग आय सृजन के लिए कर रहे हैं, 82 प्रतिशत प्रशिक्षण के छह महीने के भीतर आर्थिक रूप से सक्रिय हो गए हैं, और 60 प्रतिशत पूर्व में कमाई न करने वाले व्यक्ति प्रशिक्षण के बाद कमाई शुरू कर चुके हैं।

एनएपीएस: अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफ़एम) द्वारा वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक (30 नवंबर 2025 तक के आंकड़ों के आधार पर) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (पीएमएनएपीएएस-2) का एक तृतीय-पक्षीय मूल्यांकन अध्ययन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, मूल्यांकन अवधि के दौरान पीएमएनएपीएएस-2 ने उल्लेखनीय विस्तार हासिल किया और 46 लाख के संचयी लक्ष्य के मुकाबले 34.69 लाख प्रशिक्षुओं को रोजगार प्रदान किया, जो लगभग 75 प्रतिशत की समग्र उपलब्धि को दर्शाता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के संस्थागतकरण से वित्तीय पारदर्शिता और पूर्वानुमान में सुधार हुआ है।

(घ): पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) आवश्यकता-आधारित है और प्रशिक्षकों की क्षमता बढ़ाने, नए प्रशिक्षकों को प्रमाणित करने, मौजूदा प्रशिक्षकों के कौशल को बढ़ाने या प्रशिक्षकों को संशोधित योग्यता पैक (क्यूपी), राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस) और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए समय समय पर आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए और क्षेत्र-विशिष्ट मांग को पूरा करते हुए पीएमकेवीवाई के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन के लिए सक्षम और प्रमाणित प्रशिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। चूंकि पीएमकेवीवाई के अंतर्गत टीओटी आवश्यकता-आधारित है, इसलिए प्रशिक्षकों की आवश्यकता मांग और योजना-विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर पूरी की जाती है।

निगरानी, निरीक्षण या शिकायत निवारण तंत्र के दौरान यदि बुनियादी ढांचे में कोई कमी या कार्यान्वयन में देरी पाई जाती है, तो उसे तुरंत दूर किया जाता है। सुधारात्मक उपायों में योग्य प्रशिक्षकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना, प्रौद्योगिकी-आधारित प्लेटफार्मों के माध्यम से नियमित निगरानी, आवधिक निरीक्षण और गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना शामिल है। इन उपायों का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करना और प्रशिक्षण कार्यों में व्यवधान को कम करना है।

(ङ): उद्योग साझेदारी का विस्तार करने, प्रशिक्षण अवसंरचना का आधुनिकीकरण करने, डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों को बेहतर बनाने और गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, तमिलनाडु सहित पूरे देश में एमएसडीई द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं:

- राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम और मानक स्थापित करने वाले एक व्यापक नियामक निकाय के रूप में की गई है। एनसीवीईटी उद्योग निकायों को अवार्डिंग बॉडीज (एबी) और/या मूल्यांकन एजेंसियों (एए) के रूप में मान्यता देता है।
- अवार्डिंग बॉडीज से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग की मांग के अनुसार योग्यताएं विकसित करें और उन्हें राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार चिन्हित व्यवसायों के साथ संरेखित करें तथा उद्योग से मान्यता प्राप्त करें। एनसीवीईटी ने उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार 10209 योग्यताओं को अनुमोदित किया है, जिनमें से 2975 योग्यताएं वैध और सक्रिय हैं तथा 7234 योग्यताएं संग्रहीत हैं।
- पीएमकेवीवाई के तहत, नई पीढ़ी/भविष्य के कौशल से संबंधित जॉब रोल्स को खासकर एआई/एमएल, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, ड्रोन प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में, आगामी बाजार मांग और उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से उद्योग 4.0 की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है।
- प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) आईटीआई के छात्रों को वास्तविक औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्योगों के सहयोग से फ्लेक्सी समझौता ज्ञापन योजना और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को लागू कर रहा है।
- राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग से जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए डीजीटी ने आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, ऑटोडेस्क, एडब्ल्यूएस, शेल आदि जैसी आईटी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारियां आधुनिक प्रौद्योगिकियों में तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक हैं।
- डीजीटी ने सीटीएस के तहत नए युग/भविष्य के कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं ताकि 5जी नेटवर्क तकनीशियन, एआई प्रोग्रामिंग सहायक, साइबर सुरक्षा सहायक, ड्रोन तकनीशियन आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।
- उद्योग के लिए तैयार कार्यबल को उभरते आर्थिक अवसरों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में अहमदाबाद और मुंबई में दो (02) भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) स्थापित किए गए हैं।
- संबंधित क्षेत्रों के उद्योग जगत के अग्रणियों के नेतृत्व में 36 क्षेत्रीय कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना की गई है, जिन्हें संबंधित सेक्टरों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल दक्षता मानकों को निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया है।
- इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा प्रमाणित उम्मीदवारों को देश भर में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार मेले और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले (पीएमएनएएम) का आयोजन किया गया है।
- एमएसडीई ने स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) लॉन्च किया है, जो एक एकीकृत मंच है और कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता इको सिस्टम को आपस में जोड़कर जीवनभर चलने वाली सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से, उम्मीदवार कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और शिक्षुता

के अवसरों तक पहुंच सकते हैं। प्रशिक्षित उम्मीदवारों का ब्यौरा सिद्ध पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से वे संभावित नियोक्ताओं से जुड़ सकते हैं।

- देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण की समग्र गुणवत्ता और प्रासंगिकता को बढ़ाने के लिए, उन्नत आईटीआई के माध्यम प्रधानमंत्री कौशल विकास एवं रोजगार क्षमता परिवर्तन (पीएम सेतु) योजना का उद्देश्य हब और स्पोक मॉडल में 1,000 सरकारी आईटीआई (200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई) का उन्नयन करना है। इस उन्नयन में स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशालाएं, डिजिटल सामग्री और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप नए पाठ्यक्रम शामिल हैं। साथ ही, इसका उद्देश्य भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में स्थित पांच राष्ट्रीय आईटीआई की क्षमता बढ़ाना है, जिसमें कौशल विकास के लिए क्षेत्र-विशिष्ट राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना भी शामिल है, जहां वैश्विक साझेदारी के साथ प्रशिक्षकों के उन्नत प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

दिनांक 20.07.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 99 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अनुबंध-I

राज्यवार प्रशिक्षण केंद्र (दिनांक 30.06.2026 तक):

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमकेवीवाई 4.0 केंद्र* (एसटीटी+एसपी)	जेएसएस केन्द्र	नैप्स प्रतिष्ठान	आईटीआई	
				सरकार	निजी.
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	11	1	26	3	1
आंध्र प्रदेश	527	6	1,364	85	435
अरुणाचल प्रदेश	82	6	35	10	0
असम	864	21	1,049	31	16
बिहार	548	1	856	150	1,186
चंडीगढ़	15	14	206	3	0
छत्तीसगढ	183	1	381	120	101
दिल्ली	148	3	3,321	18	18
गोवा	6	1	556	11	2
गुजरात	276	9	13,755	272	202
हरियाणा	536	2	6,568	159	199
हिमाचल प्रदेश	183	11	859	127	135
जम्मू और कश्मीर	554	2	686	56	0
झारखंड	208	13	539	78	269
कर्नाटक	436	12	3,189	273	1,034
केरल	146	9	2,172	149	259
लद्दाख	11	2	16	3	0
लक्षद्वीप	1	1	2	1	0
मध्य प्रदेश	1,417	29	1,394	186	661
महाराष्ट्र	577	21	10,802	422	599
मणिपुर	164	4	39	11	0
मेघालय	108	1	51	7	1
मिजोरम	109	1	28	3	0
नागालैंड	96	2	34	9	0
ओडिशा	242	29	855	73	415
पुदुचेरी	29	-	284	8	6
पंजाब	619	2	1,218	126	188
राजस्थान	1,474	9	1,292	185	1,053
सिक्किम	38	-	92	4	0
तमिलनाडु	530	9	3,446	92	323
तेलंगाना	173	6	1,630	70	227
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	10	2	156	4	0
त्रिपुरा	170	2	118	20	2
उत्तर प्रदेश	2,664	47	8,005	292	2983
उत्तराखंड	198	8	935	99	66
पश्चिम बंगाल	280	8	1,713	168	147
कुल	**13,633**	**294**	**57,935**	**3,328**	**10,528**

*30 जून, 2026 तक प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या दर्शाता है।

तमिलनाडु के अरानी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र (तिरुवन्नमलई और विलुप्पुरम जिले) में प्रशिक्षण केंद्र (30.06.2026 तक):

जिला	पीएमकेवीवाई 4.0 केंद्र (एसटीटी+एसपी)	जेएसएस केंद्र	एनएपीएस प्रतिष्ठान	आईटीआई (सरकारी और निजी)
तिरुवन्नमलई और विलुप्पुरम	19	-	84	45

अनुबंध- II

एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रशिक्षित/नियोजित उम्मीदवारों का वर्षवार ब्यौरा

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
पीएमकेवाई	20,40,206	45,65,475	19,60,776	6,16,040	2,11,170
जेएसएस	1,67,283	4,15,332	3,59,796	4,61,996	7,26,284
एनएपीएस	35,098	2,05,887	3,06,989	5,90,138	7,38,490
सीटीएस	1,455,412	1,359,489	1,219,446	1,225,851	1,251,181

	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27 (30.06.2026 तक)
पीएमकेवाई	5,39,962	20,38,319	1,53,388	85,754
जेएसएस	5,07,337	5,00,490	5,14,341	5,161
एनएपीएस	9,32,322	9,84,659	12,27,903	2,76,976
सीटीएस	1,445,362	1,315,133	1,470,277	*

* सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया वर्तमान में जारी है।
